

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(179)नविवि/3/2009

जयपुर, दिनांक:

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 10(179)नविवि/3/2009 जयपुर दिनांक 13.01.2010 एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.03.2011 व 12.04.2012 द्वारा कुल 18 राजस्व ग्राम लालसोट के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 10(179)नविवि/3/2010 दिनांक 31.05.2012 द्वारा अधिसूचित लालसोट के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया गया था। साथ ही विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 द्वारा राजस्व ग्राम सलेमाबाद को सम्मिलित किया गया, जिससे कुल 19 राजस्व ग्राम लालसोट के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं।

लालसोट के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 19 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त निम्न 11 नवीन राजस्व ग्रामों को लालसोट के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र क्षितिज वर्ष 2031 तक लागू मास्टर प्लान में जोड़ा जाता है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
20	लाडपुरा	LADPURA
21	भगवतपुरा	BHAGWATPURA
22	लालपुरा	LALPURA
23	बिहारीपुरा	BIHARIPURA
24	मिर्जापुर	MIRZAPURA
25	सालगरामपुरा चक नं. 01	SALAGRAMPURA CHAK NO. 01
26	नांगल उर्फ अभयपुरा	NANGAL / ABHAYPURA
27	चकरोड़ा	CHAKRODA
28	पिताम्बरभारती	PITAMBERBHARTI
29	चकचांदसेन	CHAK CHANSEN
30.	बाढतातारसिंहचक नं.-2	BADHTATARSINGHCHAK NO.-2

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, दौसा।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. आयुक्त, नगर परिषद, लालसोट (दौसा)।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम